तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, सदस्य

उपस्थित :
श्री वी.पी.सिंह, अभिभाषक प्रार्थी
श्री एस.एल.मीणा,अभिभाषक अप्रार्थी

दिनांक : 11.01.2021

निर्णय

यह निगरानी सहायक कलेक्टर (मु.) सवाईमाधोपुर द्वारा प्रकरण संख्या 333 / 99 में पारित आदेश दिनांक 21–6–2004 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का बहस में कथन है कि अप्रार्थीया सं.1 ने ग्राम महापुरा स्थित विवादित आराजी के संबंध में एक वाद वास्ते उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थी के विरूद्ध पेश किया। दौराने वाद अप्रार्थीया ने प्रार्थी के विरूद्ध गोदनामा फर्जी तैयार कराने के संबंध में एक रिपोर्ट स्थानीय थाने में दर्ज कराई, जिसकी जांच विचाराधीन है तथा स्थानीय पुलिस ने प्रार्थी के पक्ष में हुए असल गोदनामे दिनांक 15–1–99 को प्रार्थी से ले लिया। इस पर प्रार्थी ने विचारण न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त असल गोदनामे को तलब कराने हेतु निवेदन किया क्योंकि प्रकरण प्रार्थी / प्रतिवादी की साक्ष्य में चल रहा है। विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 21–6–2004 द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बिना किसी फाइण्डिंग के निरस्त कर दिया। विचारण न्यायालय ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का कोई ठोस कारण अथवा फाइण्डिंग को अपने आदेश में नहीं दर्शाया है बल्कि सरसरी तौर पर बिना अपना न्यायिक मस्तिष्क का

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रयोग किये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायिक आदेश की परिभाषा में नहीं आता है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर आक्षेपित आदेश दिनांक 21–6–2004 निरस्त किया जावे एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते तलब किये जाने असल गोदनामा स्वीकार किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 21–6–2004को समुचित बताते हुए निगरानी खारिज करने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का मुख्य रूप से यह कथन है कि विचारण न्यायालय ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, वास्ते तलब किये जाने असल गोदनामा, को खारिज करने का कोई स्पष्ट कारण अंकित नहीं किया है। मात्र यांत्रिक रूप से प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया है, जो अवैधानिक होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह स्वीकृत एवं सुस्पष्ट स्थिति है कि विचारण न्यायालय ने आलोच्य आदेश द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज करने का कोई स्पष्ट कारण अंकित नहीं किया है। केवमात्र एक लाइन में यह अंकित करते हुए आदेश पारित किया है कि 'प्रा0पत्र O-16 R-6 CPC खारिज किया जाता है। प्रा0पत्र में अंकितानुसार गोद नामा थाना चौथ का बरवाडा से तलब कराना न्याय संगत नहीं है।' विचारण न्यायालय से यह अपेक्षित था कि वह प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निस्तारित करते समय प्रार्थना पत्र खारिज करने के कारणों को अभिलिखित करता। सकारण आदेश पारित करने का तात्पर्य	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	यही है कि वह पक्षकार, जिसके विरूद्ध आदेश पारित किया गया है, वह प्रार्थना पत्र को खारिज करने के कारण एवं आदेश की औचित्यता से अवगत हो सके, जिससे कि प्राकृतिक न्याय के आधारभूत सिद्धान्तों की पालना हो सके। अतः कारण अभिलिखित किये बिना प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 16 नियम 6 सीपीसी को खारिज करने में विचारण न्यायालय ने स्पष्टतः तात्विक एवं सारवान् अनियमितता की है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर सहायक कलेक्टर (मु.) सवाईमाधोपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–6–2004 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण सहायक कलेक्टर (मु.)सवाईमाधोपुर को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वह उभय पक्ष को सुनकर प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 16 नियम 6 सीपीसी पर स्पष्ट कारण सहित विवेचनायुक्त आदेश पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। **(सुरेन्द्र कुमार पुरोहित)** **सदस्य**	